न्यायालय श्री माननीय सदस्य महोदय रा० मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

रिकार्ड उपलब्ध नहीं है
मिलने पर शीघ्र चाहा होगा

R5169-II/15 1- कमलेश्वर प्रसाद तिवारी उम्र 62 साल पेशा- कृषि

... आवेदक / निगरानी कर्ता

2- कुसुमेश्वर प्रसाद तिवारी उम्र 64 साल पेशा- सेवानिवृत्त कर्मचारी

... अनावेदक / निगरानीकर्ता

दोनो के पिता वंशी प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पुरैना तहसील हुजूर जिलारीवाम०प्र०

बनाम

कीर्तिकेश्वर प्रसाद तिवारी उम्र 72 साल पेशा- सेवानिवृत्त कर्मचारी निवासी ग्राम पुरैना तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

... अनावेदक / रेस्पा०

श्री बी.पी. चतुर्वेदी एड के द्वारा आज दिनांक 17-11-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर 17-11-15
सर्किट कोर्ट रीवा

अपील विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 155/ए/6अ/13-14 आदेश दिनांक 12.10.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है

यह कि आराजी खसरा क्रमांक 172 स्थित ग्राम पुरैना पटवारी हल्का सोनौरा अपीलार्थी /निगरानी कर्ता गण एव रेस्पा० की पैतृक सम्पत्ति है, जिसका आपसी रजि० बटनवारा दिनांक 19.9.85 को हुआ तथा विभाजन के एव आपसी सहमति के आधार पर नामान्तरण कराया गया तथा नामान्तरण के आधार पर उभय पक्षो का बटा नम्बर कायम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R-5169–दो–.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश कपिलेश्वर / कार्तिकेश्वर	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–02–2016	यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 155 / अ–6–अ / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 12.10.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक. अधिवक्ता श्री वी.पी. चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संदर्भ में निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की प्रमाणित प्रतियों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 12.10.15 की प्रमाणित प्रति का परिशीलन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.10.15 से भूमि खसरा कमांक 172 के उपखण्ड कमांक 172 / 2 रकवा 1.58 ए. का नक्शा तरमीम किया गया। उक्त नक्शा तरमीम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि प्रकरण में मुख्य वाद बिन्दु नक्शा तरमीम से संबंधित है। इस संबंध में अधिसूचना कमांक 2543–6408–सात–ना–1 दिनांक 27 जून 68 (राजपत्र 30.6.68) द्वारा संहिता की धारा 71, 72, 73 (वर्तमान धारा 58, 69, 70) की शक्तियां शासन द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं। ऐसी दशा में तहसीलदार को संहिता की धारा 70 के अंतर्गत नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता है। उक्त धारा के अंतर्गत तहसीलदार का नक्शा तरमीम का आदेश मूल आदेश की श्रेणी में आता है। इस संबंध में संहिता की धारा 44 में यह प्रावधान है कि " 44 अपील तथा अपीलीय अधिकारी (1) जहां अन्यथा उपबंधित किया गया हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये	

प्रकरण कमांक R -5169–दो–.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश कपिलेश्वर / कार्तिकेश्वर	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी–

(क) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे आदेश देने वाले पदाधिकारी को कलेक्टर की शक्तियां विनिहित की गयी हों, उपखण्डीय अधिकारी को अपील होगी–

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित नक्शा तरमीम के मूल आदेश के विरूद्ध धारा 44(1) के तहत अपील हो सकती है।

तहसीलदार का नक्शा तरमीम का आदेश अंतिम स्वरूप का है जो अपील योग्य है ऐसी स्थिति में अपील योग्य आदेश के विरूद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। इस कारण न्यायहित में यह आदेश दिए जाते है कि इस न्यायालय के आदेश की संसूचना आवेदक को होने तक की अवधि की छूट अपील प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्रदान की जाये। तथा आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वे यदि अपील करना चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते है। उपरोक्तानुसार निर्देशों के साथ उक्त निगरानी प्रकरण का निराकरण किया जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

10-2-16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य